दावे में कितना दम!

मिटेगी भूख खत्म होगा कुपोषण

बिल खाद्य सुरक्षा अधिकार। देश में एक बड़े तबके को दो जून की रोटी मुहैया कराने की पहल। भोजन प्राप्त करना अब उन सभी लोगों का हक होगा उन्हें किसी के रहमोकरम पर नहीं आश्रित होना होगा। अधिकार की अवहेलना होने पर इस कानून के आधार पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकेगा। इस ऐतिहासिक कानून की इबारत लिखी जा चुकी है। सरकार इसे पारित करवाने को कृतसंकल्प दिख रही है। लोकसभा में खाद्य सुरक्षा कानून को मंजूरी भी मिल चुकी है।

विडंबना आम चुनाव से ठीक पहले बिल को लाए जाने के समयकाल पर खड़े किए जा रहे सवाल को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो भी इस प्रस्ताव को लेकर विसंगतियों और असहमतियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। आजादी के छह दशक बाद और हरितक्रांति के चार दशक बाद अगर हमारे नीति नियंता इस तरीके का कोई कानून लाकर मुदित हो रहे हों तो यह उनकी विफलता का ही द्योतक है। 21वीं सदी में एक तरफ जहां पौष्टिक आहार की बातें हो रही हों, न्यूट्रीशियन-डायटीशियन की सलाह पर संतुलित आहार लेने पर जोर दिया जा रहा हो, सुपोषण-कुपोषण के सख्त उच्चस्तरीय मानकों को लेकर बहस जारी हो, ऐसे में हम महज पांच किलो सूखे अनाज के वितरण को लेकर अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, जिस अनाज की क्वालिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं है और उस अनाज से जो भोजन बनेगा, उसका तो भगवान ही मालिक है।

विधान एक बार को अगर यह मान भी लिया जाए कि विकासशील देश भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं और उस स्थिति में उनके लिए अनाज मुहैया कराना ही बड़ी उपलब्धि से कम नहीं हैं। लेकिन प्रस्तावित योजना में तमाम ऐसी विसंगतियां और विकृतियां हैं जो इसके मकसद को पूरा होने में बड़ी बाधक हैं। जब तक इन चुनौतियों से पार नहीं पा लिया जाएगा तब तक सरकार का बेड़ा पार भले ही हो जाए आम जनता की भूख शांत नहीं होने वाली है। पोषण और संतुलित भोजन की बात तो किसी मृगमरीचिका से कम नहीं है। ऐसे में संप्रग सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले लाए जाने वाले तथाकथित इस ऐतिहासिक कानून की पड़ताल हम सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।

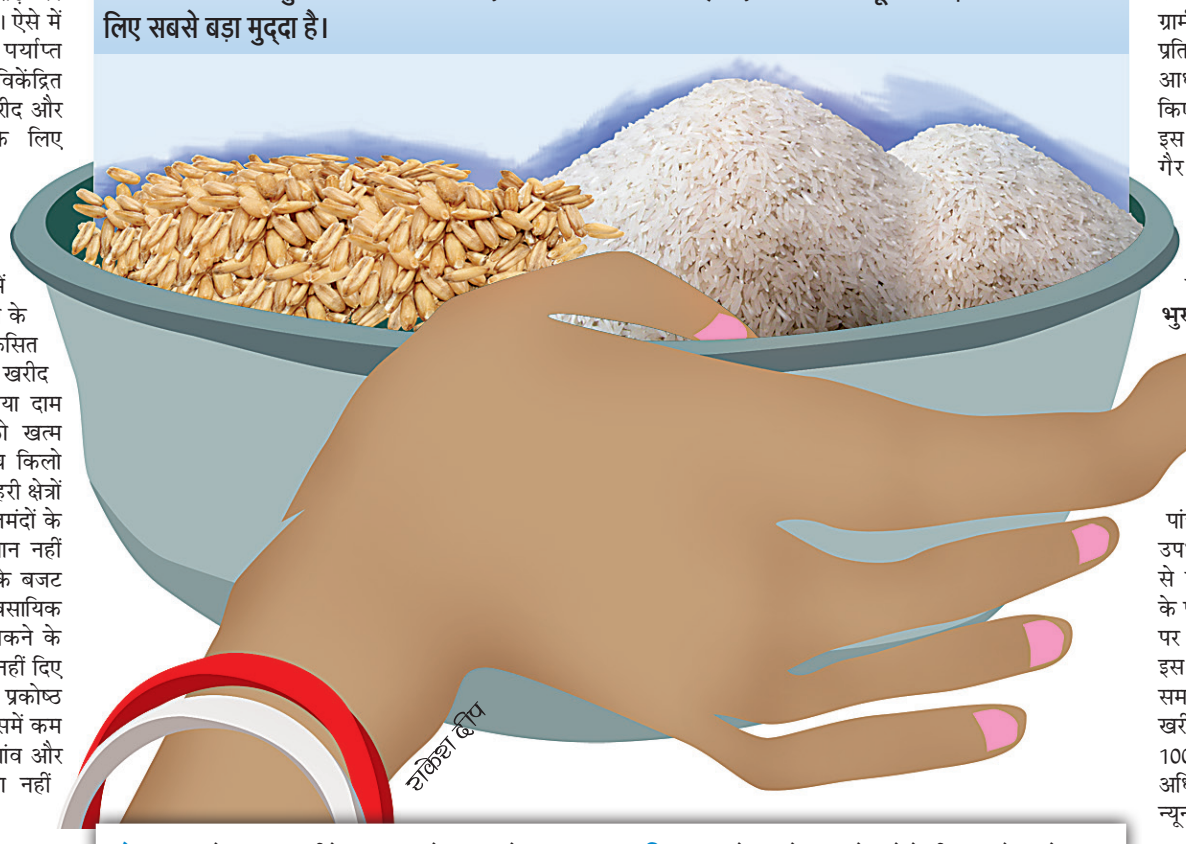

ऐतिहासिक मौके पर चूक गए हम

-दीपा सिन्हा
(खाद्य एवं जन स्वास्थ्य मसलों की स्वतंत्र शोधकर्ता और भोजन के अधिकार अभियान की कार्यकर्ता)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल (एनएफएसबी) ऐसे समय में पारित हुआ है जब करीब आठ करोड़ टन अनाज सरकारी गोदाम में भरा है और भुखमरी के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से गरीबों के लिए यह जीत के समान है। साथ ही यह निराशाजनक भी है कि सरकार देश से भुखमरी और कुपोषण को खत्म करने के लिए इस ऐतिहासिक अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा सकी।

इस बिल के यद्यपि कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इसके जरिये विशेष रूप से गरीब राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बहुत सुधार की संभावना है। पीडीएस में अभी तक गरीबी रेखा का महत्व रहा है। उसी आधार पर आबादी गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल)और नीचे (बीपीएल) निर्धारित की गई। अब इस नए बिल से पीडीएस इस गरीबी रेखा से कट गई है। इसके मुख्य रूप से दो फायदे होंगे। पहला, गरीब राज्यों में इसका दायरा बढ़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम में इस एक्ट के जरिये 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी इसके दायरे में आएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अनुभव बताता है कि दायरा बढ़ने से पीडीएस व्यवस्था में सुधार हुआ है। दूसरा, गरीबों की पहचान की जटिल और अपारदर्शी प्रक्रिया के बजाय अब अमीरों को दायरे से बाहर कर शेष आबादी को इसके अंतर्गत लाया जा सकेगा। पीडीएस तंत्र की वर्तमान व्यवस्था के तहत करीब आधी गरीब आबादी के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। इस प्रकार इसके जरिये दायरे से बाहर होने के मामले में न्यूनतम विसंगति होगी।

भुखमरी और कुपोषण को खत्म करने के लिए इस ऐतिहासिक अवसर का सरकार पूरा लाभ नहीं उठा सकी।

यद्यपि पहचान की कसौटी के मामले में बिल खामोश है तो ऐसे में यह खतरा है कि राज्य सरकारें इसके बजाय लाभार्थियों की पहचान का कोई अलग तरीका अख्तियार कर लें। बिल का अन्य सकारात्मक पहलू इसका महिला सशक्तीकरण से संबंध है। राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी किए जाएंगे। सार्वभौमिक मातृत्व अधिकार सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिए जाएंगे।

हालांकि एनएफएसबी की दृष्टि बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रही है और भोजन के अधिकार के मामले में केवल जुबानी जमा खर्च किया गया है। इसकी पहली बड़ी खामी यह है कि इसमें किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश की 60 फीसद आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है और 52 प्रतिशत अनाज का उत्पादन छोटे और सीमांत किसानों द्वारा किया जाता है। यही लोग मुख्य रूप से इस खाद्य बिल की रीढ़ की हड्डी होंगे। ऐसे में इनको पर्याप्त एमएसपी, विकेंद्रित सरकारी खरीद और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन समेत विभिन्न उपायों से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लिहाजा इस बिल में व्यवस्था की जानी चाहिए कि देश के सभी राज्यों से खरीद का तंत्र विकसित हो और सीधे छोटे किसानों से खरीद सुनिश्चित हो ताकि उनको बढ़िया दाम मिल सकें। दूसरा, कुपोषण को खत्म करने के लिहाज से केवल पांच किलो अनाज पर्याप्त नहीं है। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक किचन और जरूरतमंदों के लिए भोजन कार्यक्रम का प्रावधान नहीं किया गया है। चौथा, अब इसके बजट में बढ़ोतरी होगी लेकिन व्यावसायिक हितों को इसका लाभ लेने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बिल में नहीं दिए गए हैं। पांचवां, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। उसमें कम दंड का प्रावधान किया गया है गांव और पंचायत स्तर पर प्रभावी तरीका नहीं अख्तियार किया गया है।

मंशा सही मगर तरीका गलत

-किरीट एस पारिख
(चेयरमैन, इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलेपमेंट और योजना आयोग के पूर्व सदस्य)

खाद्य सुरक्षा बिल (एफएसबी) को लागू करने में अगर कारगर तरीका अपनाया जाता तो भुखमरी दूर करने की यह बेहतर योजना साबित हो सकती थी।

लाभान्वितों की पहचान : अभी तक गरीबों की पहचान का हमारा अनुभव बहुत खराब रहा है। इस बार अमीरों की पहचान कर उनको दायरे से बाहर रखने के नजरिये की जरूरत है। 2011 में योजना आयोग ने ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना की थी। उसके आधार पर गाड़ी और निश्चित जमीन के स्वामी जैसे कुछ मानकों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के 30 प्रतिशत लोग इस आधार पर बाहर किए जा सकते हैं। इस माध्यम से कुछ गैर जरूरतमंद अमीर तो अंदर आएंगे लेकिन कोई भी गरीब योजना के दायरे से बाहर नहीं होगा।

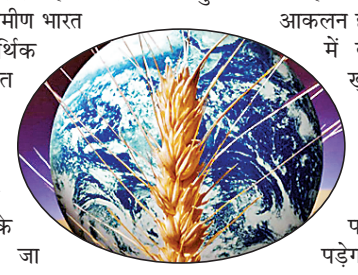

कुपोषण कम करने के लिए एफएसबी की तुलना में शौचालय का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

भुखमरी की समस्या : इसके जरिए भुखमरी से पूरी तरह छुटकारा पाने के मसले पर संदेह है। औसतन प्रति व्यक्ति हर महीने 10.7 किग्रा अनाज का उपभोग करता है। ऐसे में एफएसबी के तहत पांच किलो अनाज मिलने के बावजूद उपभोक्ता को 5.7 किलो अनाज बाजार से खरीदने की दरकार होगी। एफएसबी के प्रभाव का बाजार में अनाज की कीमतों पर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की खरीदारी कितनी प्रभावी है? यदि खरीदारी 100 प्रतिशत प्रभावी है तो एमएसपी के अधिक रहने पर बाजार की कीमतें न्यूनतम रहेंगी। इस लिहाज से पांच किलो पर 50 रुपये की सब्सिडी पाने वाले गरीब व्यक्ति को एफएसबी के तहत 10 रुपये प्रति किलो अनाज मिलेगा और उसको बाजार से 5.7 किलो अनाज खरीदने के लिए 20 से 30 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इस प्रकार यदि बाजार दरों में परिवर्तन नहीं हो तो 20 या 30 रुपये या अधिक से अधिक 50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की अतिरिक्त आय पर कुल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह अगर आकलन किया जाए तो ग्रामीण गरीबी और भुखमरी को कम करने के मामले में इसका एक से दो प्रतिशत से ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है।

कुपोषण : यदि अतिरिक्त आय को पोषण युक्त भोजन पर खर्च किया जाए तो भी कुपोषण को नहीं खत्म किया जा सकता। आकलन है कि एक वर्ग किमी में करीब 200 व्यक्ति खुले में शौच करते हैं। इसको नियंत्रित करने से पहले भोजन की खपत बढ़ाने से कुपोषण पर मामूली असर ही पड़ेगा। अमीर तबके में भी बाल कुपोषण की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में कुपोषण कम करने के लिए एफएसबी की तुलना में शौचालय का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

उपयोगिता : एफएसबी के तहत सस्ती दरों पर अनाज पाने के कारण यदि किसान अपने लिए अनाज का उत्पादन बंद कर दे तो इससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। ऐसे में यदि एफएसबी के तहत केवल आय के स्तर पर सहयोग किया जाए तो प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण बेहतर तरीका हो सकता है। यह तरीका अनाज उत्पादन और बाजार में होने वाली सभी समस्याओं का अंत कर देगा।

सोनिया गांधी का यह कहना सही है कि यदि संसाधनों की जरूरत है तो उनको खोजना होगा। यह बेहतर होगा कि यदि सरकार डीजल, एलपीजी और इस तरह के अन्य मदों पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर इनको प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं होने की दशा में एफएसबी केवल महंगाई और उससे जनित गरीबी और भुखमरी को बढ़ाएगा।

पोषण मिले तभी मकसद खिले

-कविता श्रीवास्तव
(महासचिव, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज)

कानून में भोजन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पोषण यानी सस्ते में दाल, तेल इत्यादि उपलब्ध कराने का जिक्र ही नहीं है। भारत जैसे कुपोषित देश में महंगाई के मारे इन चीजों की खपत लगातार कम हो रही है। इससे औसतन कैलोरी उपभोग केवल 1900 रह गया है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की खपत से भी कम है। समाज के खाद्य असुरक्षित लोग, बुजुर्ग निःशक्त जन व बेघरों के लिए सामुदायिक रसोई पर एकदम चुप्पी साधी हुई है।

एक तरह से अभी तक जहां केंद्र सरकार द्वारा देश के 36 प्रतिशत जनता को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा था वह अब 67 प्रतिशत लोगों को पहुंचाया जायेगा। ऐसे में पोषण की दृष्टि से कानून की सफलता को लेकर संदेह करना अनावश्यक नहीं है।

कानून के अच्छे पहलू के तहत परिवार की वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया मानते हुए उसके नाम राशन दिए जाने का प्रावधान क्रांतिकारी कदम है। इससे परिवार की खाद्य सुरक्षा अब औरत के हाथ होगी। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली मां को प्रसव के छह माह तक छह हजार रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। ताकि इस समयावधि के दौरान मां को काम पर न जाना पड़े और वह अपने बच्चे के पास रह सके। इसके अलावा भी पोषण के पहलू पर सोचने की जरूरत है जिससे यह कानून महज एक दैनिक राशन देने वाला कानून बनकर रह जायेगा।

खाद्य सुरक्षा बिल

एक नजर में

योजना: इसके तहत हर महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किग्रा चावल, गेहूं या मोटा अनाज क्रमशः तीन, दो और एक रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से मुहैया कराया जाएगा।

दायरा: इस योजना से देश की 67 फीसद आबादी यानी 82 करोड़ लोगों की भूख और कुपोषण दूर करने का दावा किया जा रहा है। इनमें से 75 फीसद लोग ग्रामीण क्षेत्र से और 50 फीसद शहरी क्षेत्र से होंगे।

कुल खर्च: योजना की कुल लागत 1.30 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक फीसद है। वर्तमान में 90 हजार करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी के रूप में सरकार खर्च कर रही है। इस कानून के लागू होने पर सरकार के खजाने से 40 हजार करोड़ रुपये इस मद में और खर्च होंगे।

कुल अनाज की जरूरत: इसके कुल 6.2 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी।

प्रक्रिया: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) द्वारा उचित मूल्य पर राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में एफसीआइ पूरे देश में पांच लाख से अधिक ऐसी दुकानें संचालित करता है।

खूबियां: इस योजना से 82 करोड़ लोगों की भूख और कुपोषण मिटाने का दावा किया जा रहा है।

- महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। परिवार की वरिष्ठ महिला को घर की मुखिया मानते हुए उसके नाम से ही राशन कार्ड जारी किए जाने का प्रावधान है।

खामियां: पहले से ही वित्तीय घाटे के बोझ से हांफते देश के खजाने पर इस कार्यक्रम से और भार बढ़ेगा। इस कार्यक्रम की लागत से वित्तीय घाटा का जीडीपी के 5.1 फीसद पर पहुंचने का अनुमान है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और विस्तार देने का मतलब है कि रिसाव के नए रास्ते खोलना।
- तमाम मसलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच असहमति के चलते योजना की कामयाबी पर संदेह जताया जा रहा है।

दुनिया में ऐसी योजनाएं: वैसे तो कई देशों में इससे मिलती जुलती सस्ती दरों पर लोगों को अनाज मुहैया कराने की योजनाएं लागू हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, इक्वाडोर, नेपाल, ब्राजील जैसे देश में बाकायदा भोजन के अधिकार कानून को लागू किया गया है।

संतुलित खुराक बनाम भरपेट भोजन

भोजन के अधिकार कानून के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति को पांच किग्रा अनाज दिया जाएगा। इसमें चावल, गेहूं या मोटा अनाज शामिल होगा। इस हिसाब से उसे प्रतिदिन 167 ग्राम गेहूं, चावल या मोटा अनाज मिलेगा। एक तो यह मात्रा पेट भरने के लिए भी काफी नहीं है। पेट भरने के लिए भी प्रतिदिन के लिहाज से कम से कम इससे अधिक मात्रा में अनाज के साथ दालें या सब्जियों की भी जरूरत होती है। ऐसे में संतुलित या पौष्टिक खुराक की बात करना तो दूर की कौड़ी है। आइए, जानते हैं कि एक संतुलित खुराक में कौन-कौन से तत्व कितनी मात्रा में शामिल होते हैं।

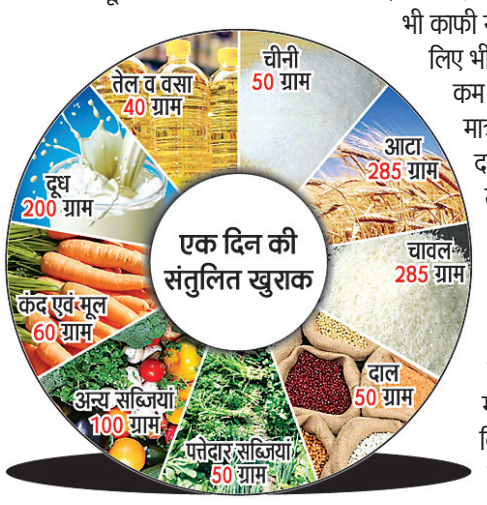

अनाज पर कैसे हो नाज

जिस खाद्यान्न के बूते हम लोगों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने जा रहे हैं, उसे भले ही हमारे अन्नदाता अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से कई गुना अधिक उपजा रहे हों, लेकिन संसाधनों की कमी से बहुत सारा अनाज नष्ट हो जाता है। ऐसे में बाढ़, सूखे की स्थिति में इस अधिकार के सिरे चढ़ने में दिक्कतें आ सकती हैं।

भंडारण में बर्बादी

साल	मात्रा (लाख टन में)	नुकसान (फीसद में)	नुकसान
2010-11	1.7	0.21	323
2011-12	2.0	0.23	405
2012-13	1.7	0.27	380
2013- 14 (जून,13 तक)	0.5	0.37	120

ढुलाई में नुकसान

2010-11	17.7	0.47	281
2011-12	19.6	0.48	333
2012-13	18.4	0.52	339
2013- 14 (जून, 13 तक)	05.2	0.55	106

खाद्यान्न जो जारी नहीं हो सका (खाने लायक नहीं)

साल	मात्रा (टन में)	नुकसान
2010-11	6,346	6.58
2011-12	3,338	3.32
2012-13	3,148	2.58
2013- 14 (जून, 13 तक)	8,881	9.85

(नुकसान करोड़ रुपये में)

स्रोत : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

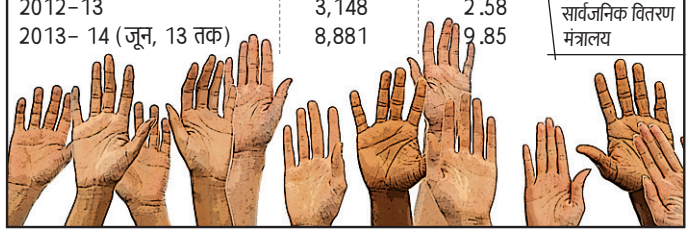

कानून की कठिनाई

खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर बनने के चार दशक बाद देश की जनता को भोजन का अधिकार दिलाने की शुरुआत कर भले ही सरकार अपनी पहल का जश्न मना रही हो, लेकिन कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार यह महज मृग मरीचिका जैसा ही साबित होने वाला है। प्रमुख व्यावहारिक दिक्कतों पर पेश है एक नजरः

आधी-अधूरी आपूर्ति

देश में प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज की औसतन खपत 10.7 किग्रा है। इसलिए इस कानून के तहत पांच किग्रा मिलने के बाद भी किसी भी आदमी को शेष 5.7 किग्रा के लिए बाजार पर आश्रित रहना होगा। यह इस बिल की सार्थकता पर सवाल खड़े करता है।

लागत की समस्या

अभी इस योजना की सालाना लागत करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये है। इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए समर्थन मूल्य में इजाफे, खरीद, भंडारण और वितरण की लागत में अगर 8-10 फीसद इजाफा मानकर चलें तो कुल लागत 1.40 करोड़ से कम नहीं आने वाली है। इसमें अगर रेलवे द्वारा अनाज की ढुलाई और भंडारण के साथ पीडीएस को चुस्त दुरुस्त करने की लागत को भी शामिल कर लिया जाए तो यह कीमत 2 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। इसका विपरीत असर लोगों पर पड़ सकता है। महंगाई बढ़ सकती है।

पोषण का प्रश्न

शोध बताते हैं कि इसके लिए सभी को स्वच्छ पानी मुहैया कराने, साफ सफाई और महिलाओं को शिक्षा दिलाने की जरूरत है। जिसके लिए भारी मात्रा में निवेश की जरूरत होगी जो बिल में कहीं से भी ध्वनित नहीं होता है।

जर्जर ढांचा

जिस पीडीएस के ढांचे को विस्तार देकर इसका आधार बनाने की बात कही जा रही है, वह पहले से ही जर्जर है। पीडीएस की जिन खामियों को पिछले पचास साल में दुरुस्त नहीं किया जा सका, इसकी बहुत कम गुंजायश दिखती है कि वे इसे अगले साल तक ठीक होंगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यह योजना बहुत महंगी और असफल प्रयोग साबित हो सकती है।

बेहतर विकल्प

लोगों के बैंक खातों में नकदी देना ज्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। पर्याप्त बैंकिंग नेटवर्क वाले स्थानों से इसे शुरू किया जा सकता है। धीरे-धीरे इसके दायरे में उन किसानों को शामिल किया जाए जो अपना पूरा अनाज सरकार को नहीं बेचना चाहते। सही भी है कि एक बार तय कीमत पर वे अपना अनाज सरकार को बेचें फिर तय सस्ती दरों पर सरकार से खरीदें। इस जटिल प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

जनमत

मुद्दा

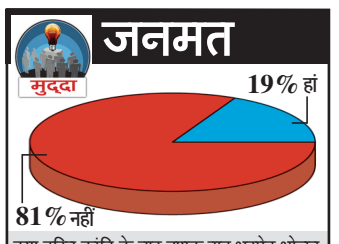

क्या हरित क्रांति के चार दशक बाद भरपेट भोजन की तथाकथित गारंटी पर सरकार का जश्न जायज है?

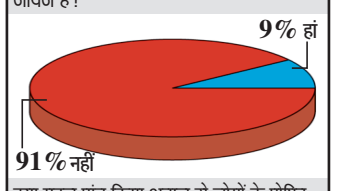

क्या महज पांच किग्रा अनाज से लोगों के पोषित-संतुलित भोजन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है?

आपकी आवाज

खाद्य सुरक्षा योजनाएं देश की कृषि पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि जब लोगों को सरकार की तरफ से सस्ता अनाज मिलना शुरू हो जाएगा तो लोग खेती बाड़ी करना भी छोड़ सकते हैं।

-राजू9023693142@जीमेल.कॉम

सरकार ने वोट बैंक के लिए चुनाव से छह महीने पहले वित्तीय आपातकाल जैसे हालातों के दौरान भोजन गारंटी बिल पेश किया है, ऐसे में निराशा के माहौल में जश्न मनाना महंगा पड़ सकता है। सरकार यदि एक प्रतिशत भी गरीबों की शुभचिंतक होती तो अनाज गोदामों में नहीं सड़ रहा होता। -नरायण दत्त नैनीताल@जीमेल.कॉम

खाद्य सुरक्षा विधेयक एक नकारा सरकार का व्यर्थ शोध पत्र है। जिसे चार साल के कठिन परिश्रम के बाद वोट खरीदने के काबिल बनाया गया है। -अवनींद्र रिपोर्टर@जीमेल.कॉम

सेहत का सवाल

79 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 65वें पायदान पर मौजूद भारत में मोटापे के साथ कुपोषण भी बड़ी समस्या है। खाद्य सुरक्षा बिल से भले ही लोगों का कुपोषण दूर करने की बात की जा रही हो, लेकिन पेट भरने और संतुलित भोजन या पौष्टिक खुराक में बहुत अंतर है।

48% गंभीर रूप से कुपोषित पांच साल से कम आयु के बच्चों की संख्या

55% 15-49 आयु वर्ग में एनीमिया से पीड़ित महिलाएं

43% पांच साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनका आयु के हिसाब से कम वजन है

24% 15-49 आयु वर्ग में एनीमिया से ग्रसित पुरुष

69% पांच साल से कम आयु के वे बच्चे जो एनीमिया के किसी न किसी रूप से ग्रसित हैं

1/3 दुनिया के कुल गरीबों में भारत की हिस्सेदारी

36% 15-49 आयुवर्ग में कुपोषित महिलाएं की संख्या

34% 15-49 आयु वर्ग में कुपोषित पुरुषों की हिस्सेदारी